

दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हक्को के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। उपरोक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय यह उचित समझता है, कि प्राथमिक आवेदन पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

विहाजा न्यायोचित में प्राथमिक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी पी सी वाली आवेदन पुनः बरामद किया जाना स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2024 को निरस्त किया जाकर प्राथमिक का आवेदन पुनः बरामद किया जाता है।।

पत्रावली केसल सुचारु होकर दायित्व दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

सहायक जज
ADO दिल्ली